06/18

A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 6/2018
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

लखविन्द्रसिंह आत्मज श्री जगवीरसिंह, जटसिख, चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. जगवीरसिंह आत्मज श्री जुगराजसिंह, जटसिख, चक 9 एल. एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. श्रीमती सुखजीतकौर आत्मजा श्री जगवीरसिंह धर्मपत्नी श्री जसवालसिंह, जटसिख, गांव लूडेवाला तहसील गिदड़वाहा जिला मुक्तसर(पंजाब)
3. श्रीमती रविन्द्रकौर आत्मजा श्री जगवीरसिंह धर्मपत्नी श्री विजयसिंह, जटसिख, गांव पतली, तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर.
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1से3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 12 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक्र 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 1 में कुल 3.093 हैक्टर, खाता संख्या 45 मुरब्बा नम्बर 1 में 3.074 हैक्टर कुल 6.167 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिता श्री जगवीरसिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जो समस्त पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से मुरब्बा नम्बर 14, 17 एवं 32 में संयुक्त खाता की कृषि भूमि प्राप्त हुई, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी काश्त की सुविधा को देखते हुऐ भूमि का एकीकरण करने के लिये अपने सह खातेदारों के साथ बंटवारा की डिक्री प्राप्त कर मुरब्बा नम्बर 1 की 6.167 हैक्टर बंटवारा में प्राप्त कर ली. वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का वादी से बहुत स्नेह एवं लगाव होने के कारण उनके द्वारा अपने पैतृक हिस्सा की कृषि भूमि का मौखिक रूप से वादी के हक में परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि का घरू मौखिक बंटवारा कर वादी को चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 3.093 हैक्टर एवं खाता संख्या 45 मुरब्बा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

6/18

A2/3

नम्बर 1 की 3.074 हैक्टर में से 1.461 हैक्टर कुल 4.554 हैक्टर कृषि भूमि दी गयी जिस पर वादी काबिज होकर मौका पर काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कहा गया कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से बंटवारा उसके नाम पर कर देगा, इस विश्वास पर वादी द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि में बड़ी मेहनत करके एवं राशि का व्यय का सुधार कार्य करवाया गया है किन्तु कुछ दिवस पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के कथन करने पर प्रतिवदी संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐं दिनांक 5 जनवरी, 2018 को इन्कार हो गया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नहीं देना चाहता. यही वाद हेतुक वादी को प्राप्त है. इन परिस्थतियों में, उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 3.093 हैक्टर एवं खाता संख्या 45 मुरब्बा नम्बर 1 की 3.074 हैक्टर में से 1.461 हैक्टर कुल 4.554 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा कर वादी के नाम पर दर्ज कर पृथक पृथक लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, नामान्तरकरण संख्या 357 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 23 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9282 5991 3623, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8753 7510 4468, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7519 2387 7406 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4600 7457 2290 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

6/18

A2/4

वादी द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, इसी अनुरूप, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार दोनों वर्णित कृषि भूमि में हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती इसलिये अपने हिस्सा व हक का परित्याग करती हैं. राजीनामा के अनुसार यदि निर्णय पारित किया जाकर डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे सहमत हैं.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 357 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी जन्म से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राजीनामा दिनांक 23 जनवरी, 2018 के अनुरुप वादी श्री लखविन्द्रसिंह चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 3.093 हैक्टर एवं खाता संख्या 45 मुरब्बा नम्बर 1 की 3.074 हैक्टर में से 1.461 हैक्टर कुल 4.554 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23 जनवरी, 2018 के अनुरूप वादी श्री लखविन्द्रसिंह को चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 3.093 हैक्टर एवं खाता संख्या 45 मुरब्बा नम्बर 1 की 3.074 हैक्टर में से 1.461 हैक्टर कुल 4.554 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिकी जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत न्यायालय में आज दिनांक 12 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर